रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082026-275045
CG-DL-E-01082026-275045

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 634] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2026/श्रावण 9, 1948
No. 634] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2026/SHRAVAN 9, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 696(अ) —केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50) की धारा 22 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा स्कंध, (अधीनस्थ रैंक) समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 को, जहां तक उनका संबंध कांस्टेबल (जनरल डयूटी), के पद से है, उन बातो के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सुरक्षा स्कंध के कांस्टेबल (जनरल डयूटी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा स्कंध, कांस्टेबल (जनरल डयूटी), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर। - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर, वह होगा जो इन नियमों के साथ से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ आदि। – भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होगी उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **ज्येष्ठता -** सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता का अवधारण भर्ती परीक्षा में और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा आयोजित बेसिक प्रशिक्षण में उनके द्वारा अभिप्राप्त अंकों को 50:50 के अनुपात में मिलाने के पश्चात् मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

5. निरर्हता – वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. चिकित्सा दृष्टया योग्यता - इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'शेप -1' से कोड अक्षर SHAPE द्वारा उपदर्शित किए गए कारकों के अधीन व्यक्ति की फिटनेस का निर्धारण करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए चिकित्सा वर्गीकरण के रूप में विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात्: -

एस- मनोवैज्ञानिक;

एच- श्रवण;

ए-उपांग;

पी- शारीरिक क्षमता; तथा

ई- दृष्टि।

7. **अन्यदेशीय की अपात्रता** – कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा:

परंतु इस नियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में नेपाल या भूटान के नागरिक की नियुक्ति या नियोजन को विवर्जित नहीं करेगी।

8. अधिवर्षिता - (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति उस मास के, जिसमें वह साठ वर्ष की या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विहित आयु अभिप्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त होगा।

परन्तु यह कि वह व्यक्ति, जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख है, साठ वर्ष की आयु अभिप्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को, अधिवर्षिता की सेवानिवृत्ति की विनिर्दिष्ट आयु के परे सेवा में विस्तार अनुदत्त नहीं किया जाएगा।

9. शिथिल करने की शक्तियां- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

10. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कांस्टेबल (जनरल डयूटी)	93293* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित) (अननुसचिवीय) योधक	स्तर-3 (रु. 21700-69100)	लागू नहीं होता	18 से 23 वर्ष के बीच (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पांच वर्ष तक और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण 1**: आयु-सीमा के अवधारण के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग या संबंध नोडल बल या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार होगी। **टिप्पण 2**: भूतपूर्व-अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जाएगी। **टिप्पण 3**: भूतपूर्व-अग्निवीरों के पश्चातवर्ती बैचों से अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तीन वर्ष तक शिथिल की जाएगी। **टिप्पण 4**: केंद्रीय सरकार में तीन वर्ष की निरंतर सेवा वाले विभागीय अभ्यर्थियों के लिए, ऊपरी आयु सीमा साधारण और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(7)
(क) शैक्षणिक अर्हता: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य या भूतपूर्व सेना कार्मिक की दशा में समतुल्य सेना अर्हता। (ख) शारीरिक और चिकित्सा मानक: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कांस्टेबल (जनरल डयूटी) के पद पर भर्ती के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानक, केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित स्कीम के अनुसार लागू होंगे। (ग) भर्ती के लिए विज्ञापन में उल्लिखित कांस्टेबल (जनरल डयूटी) के लिए यथा विहित शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा अर्हित होनी चाहिए। **टिप्पण:** भूतपूर्व-अग्निवीरों को लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) से छूट दी जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताए प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नही।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) राज्य या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों और एथलीटों से पांच प्रतिशत से अनधिक सीधी भर्ती द्वारा ; और (ii) पंचानवे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। **टिप्पण 1**: प्रत्येक भर्ती वर्ष में कांस्टेबल (जनरल डयूटी) के पद पर भर्ती के लिए भूतपूर्व-अग्निवीरों के लिए पचास प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित होंगी। **टिप्पण 2**: पहले चरण में, भर्ती नोडल बल द्वारा भूतपूर्व-अग्निवीरों के लिए निर्धारित पचास प्रतिशत रिक्तियों के लिए	**प्रतिनियुक्ति**: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस संगठनों में सदृश के पदासीन व्यक्ति जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 3 (21700-69100 रु) में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है। **टिप्पण**: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस संगठन के उसी या किसी अन्य संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

		आयोजित की जाएगी या गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार आयोजित की जाएगी। **टिप्पण 3**: दूसरे चरण में, भर्ती शेष पचास प्रतिशत के साथ पहले चरण में न भरी गई रिक्तियों के विरूद्ध विद्यमान उपबंधों के अनुसार खुली परीक्षा के माध्यम से आयोजित की जाएगी या गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार आयोजित की जाएगी। **टिप्पण 4** : विभिन्न प्रवर्गों के लिए आरक्षण के विद्यमान उपबंध दोनों चरणों के लिए लागू होंगे।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति पुष्टीकरण है, तो इसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है**
(12)	**(13)**
समूह 'ग' विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : - 1. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का एक अधिकारी जो कमांडेंट के रैंक से नीचे का न हो। - अध्यक्ष ; 2. अन्य केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कार्यालय/ यूनिट से डिप्टी कमांडेंट/सहायक कमांडेंट/चिकित्सा अधिकारी - सदस्य ; 3. यूनिट/कार्यालय का सहायक कमांडेंट - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ई-32012/01/2025/स्था.I]

पी. एस. डंगवाल, निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2026

G.S.R. 696(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 read with clause (a) of sub-section (2) of Section 22 of the Central Industrial Security Force Act, 1968 (50 of 1968), and in supersession of the Central Industrial Security Force, Security Wing, (Subordinate Ranks) Group 'B' and Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2010, in so far as it relates to the post of Constable (General Duty), except as respect things done or omitted to be done or before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of

recruitment to the post of Constable (General Duty) of Security Wing in the Central Industrial Security Force, in the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Central Industrial Security Force, Security Wing**,** Constable (General Duty), Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Posts, Classification and Level in the Pay Matrix. - The number of said posts, their classification and level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Seniority.-**

Seniority of the candidates appointed through direct recruitment shall be determined on the basis of the merit after combining the marks obtained by them in the recruitment test and in the Basic Training conducted by Central Industrial Security Force in the ratio of 50:50.

5. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Medical fitness.- Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-1, shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.

Explanation.- For the purpose of this rule, 'SHAPE-1' means the medical category specified as medical classification done by medical officer after assessing fitness of the person under the given factors indicated by the code letters SHAPE, which represent the following functions, namely:-

S- Psychological;

H- Hearing;

A- Appendages;

P- Physical capacity ;and

E- Eyesight.

7. Ineligibility of non-citizens of India. – No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of **Nepal** or **Bhutan** in the Central Industry Security Force.

8. Superannuation. – (1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years or as prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that the person whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years.

(2) No person, shall be granted extension in service beyond the specified age of retirement on superannuation.

9. Powers to Relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

10. Savings .– Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Constable (General Duty)	93293* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted) (Non-Ministerial) Combatised.	Level-3 (Rs.21700-69100)	Not applicable	Between 18 and 23 years (Relaxable upto five years age in case of Scheduled Caste or Schedule Tribes candidates and three years in case of Other backward classes candidates). **Note 1**: The crucial date for determination of the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission or the concerned Nodal Force or Central Industrial Security Force. **Note 2:** The upper age-limit shall be relaxable upto five years for the candidates of the first batch of Ex-Agniveers.
					Note 3: The upper age-limit shall be relaxable upto three years for the candidates from subsequent batches of Ex-Agniveers. **Note 4:** For departmental candidates with three years continuous service in the Central Government, the upper age limit shall be 40 years for General and Other Backward Class candidates and 45 years for Scheduled Caste /Scheduled Tribe candidates.

Educational and other qualifications required for direct recruits

(7)

(a) Educational qualification:

Matriculation or equivalent from a board or university recognised by the Central Government or State Government or equivalent Army qualification in case of Ex-Army personnel.

(b) Physical and Medical Standards:

Physical and medical standard for recruitment to the post of Constable (General Duty) in Central Industrial Security Force shall be applicable as per the Scheme prescribed by the Central Government from time to time.

(c) Must qualify the Physical Efficiency Test and the written examination as prescribed for Constable (General Duty)

mentioned in the advertisement for recruitment.

Note : Ex-Agniveers shall be exempted from written examination, Physical Standard Test (PST) and Physical Efficiency Test (PET).

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
Not applicable.	Two years for direct recruits.	(i) Not more than five per cent. by direct recruitment from State or National or International level sports persons and athletes; and (ii) ninety-five per cent. by direct recruitment failing which by deputation. **Note 1**: Fifty percent vacancies shall be reserved for Ex-Agniveers for recruitment to the post of Constable (General Duty) in every recruitment year. **Note 2**: In the first phase, the recruitment will be conducted by the Nodal Force for fifty per cent. vacancies earmarked for Ex-Agniveer or as per the instructions issued by Ministry of Home Affairs from time to time. **Note 3:** In the second phase, recruitment will be conducted through open examination as per the existing provisions against the remaining fifty per cent. of the vacancies along with the unfilled vacancies of the first phase or as per the instructions issued by Ministry of Home Affairs from time to time. **Note 4** : The existing provisions of reservation for various categories will be applicable for both phases.	**Deputation:** Persons holding analogous posts in the Central Armed Police Forces or Central/State/Union territory Police Organisations who have completed three years regular service in Level 3 in the pay matrix Rs.21700- 69100. **Note** :The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central/State/Union territory Police organisations shall ordinarily not exceed three years. The maximum age- limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
(12)	**(13)**
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (**for considering confirmation**) consisting of :- 1. An officer of the Central Industrial Security Force not below the rank of Commandant - Chairman 2. Deputy Commandant/ Assistant Commandant/ Medical Officer from other Central Industrial Security Force Office/Unit - Member 3. Assistant Commandant of the Unit/ Office - Member	Not Applicable

[F. No. E-32012/01/2025/Estt.I]

P. S. DANGWAL, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2025.08.01 11:46:26 +05'30'